हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

6/8/21

प कुलाय उप०।

स्थगन पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण बिना बटवारा करवाये बेचान कर देवें तो प्रार्थी के अपूरणीय नुकसान होगा। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जावें।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने संयुक्त रूप से एक विक्रय इकरारनामा दिनांक 10/8/2020 को मुन्नी w/o रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी मौलासर के हक में निष्पादित किया था तथा उसी इकरारनामा के आधार पर दिनांक 18/12/2020 को अप्रार्थीगण ने विक्रय पत्र दस्तावेज मुन्नी देवी के हक में निष्पादित करवा दिया। क्योंकि अप्रार्थी सं. 01 ता 04 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा बेचान कर दिया है तो प्रार्थी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। अतः स्थगन आदेश हटाया जावें।

बहस के तर्कों पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। वकील अप्रार्थी ने पंजीयन दस्तावेज की प्रति पेश की जिससे प्रतीत होता है कि अप्रार्थी ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा मुन्नी देवी को बेचान कर दिया है। जब अप्रार्थी ने अपना हक हिस्सा बेचान कर दिया है तब इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य [illegible]। अतः प्रार्थना पत्र खारिज [illegible] पत्रावली [illegible] हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 14:47:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner